

D.El.Ed. (2018-20) 1ST YEAR EXAMINATION SCHEDULE

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी0आर0 349/2019

एतद् द्वारा NCTE से मान्यता एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त डी॰एल॰एड॰ कोर्स संचालित प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य / प्राचार्या / प्रशिक्षणार्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि डी॰एल॰एड॰ (फेस–टु–फेस) पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण सत्र 2018–20 के प्रथम वर्ष की वाह्य विषयों की परीक्षा वर्ष 2019 निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर संचालित होगी :–

	परीक्षा कार्यक्रम	
परीक्षा की तिथि एवं दिन	प्रथम पाली 10:00 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अपराह्न	द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्व
02.09.2019 (सोमवार)	F-1 Understanding society, Education and Curriculum	F-2 Childhood and the Development of Children
03.09.2019 (मंगलवार)	F-3 Early Childhood Care and Education	F-4 School Culture, Change and Teacher Development
परीक्षा की तिथि एवं दिन	प्रथम पाली 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे अपराह्न	द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह से 04:00 बजे अपराह्व तक
04.09.2019 (बुधवार)	F-5 Understanding Language and Early Language Development	F-6 Gender and Inclusive Perspectives in Education
05.09.2019 (वृहस्पतिवार)	F-7 Pedagogy of Mathematics-1 (Primary Level)	F-8 Pedagogy of Hindi-1 (Primary Level)
06.09.2019 (शुक्रवार)	F-9 Proficiency in English	F-10 Pedagogy of Environmental Studies
07.09.2019 (शनिवार)	F-11 Art Integrated Education	F-12 Information and Communication Technology in Education

 सभी संबंधितों को यह भी सूचित किया जाता है कि डी॰एल॰एड॰ (फेस–टु–फेस) पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की बाह्य विषयों की परीक्षा वर्ष 2019 का प्रवेश पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाईट www.biharboard.online पर दिनांक 20.08.2019 से अपलोड रहेगा। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य पूर्व से उपलब्ध User Id एवं पासवर्ड से Log in कर प्रवेश पत्र Download कर अपने हस्ताक्षर मुहर के साथ छात्र / छात्रा को हस्तगत् कराना सुनिश्चित करेंगे।
संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि डी॰एल॰एड॰ (फेस–टु–फेस) पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की बाह्य परीक्षा 2019 में सम्मिलित होने वाले निःशक्त परीक्षार्थी को समिति के विनियम के आलोक में प्राप्त आवेदन के आधार पर नियमानुसार लेखक की स्वीकृति के संबंध में अपने स्तर से कारवाई करना सुनिश्चित करेंगे।